



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर  
केम्प इन्दौर (म0प्र0)

नाम संख्या 1  
 श्रीमान अध्यक्ष भारत  
 २५-०१-२०१५

वीचुक्ति कानूनी दस्तावेज़  
 २५-०१-२०१५  
 प्रमुख दस्तावेज़ २

वीचुक्ति कानूनी दस्तावेज़  
 २६-०१-२०१५

3 नंदराम पिता हुकमा, जाति बलाई,

निवासी गोविन्द नगर, खारचा, सावेर रोड,

इन्दौर, जिला इन्दौर

4 शंकर पिता हुकमा, जाति बलाई,

निवासी बजरंगपुरा, इन्दौर

5 रामकिशन पिता हुकमा, जाति बलाई,

निवासी गोविन्द नगर, खारचा, सावेर रोड,

इन्दौर, जिला इन्दौर

6 सकुबाई पति हुकमा, जाति बलाई,

निवासी ग्राम बिजुर, तह. धार

.....निगरानीकर्तागण

### बनाम

1 आत्माराम पिता तोल्या, जाति बलाई,

2 शौभाराम पिता तोल्या, जाति बलाई,

दोनों निवासी ग्राम नारायणपुरा, तह० धार

3 पुजा पिता बुदिया, जाति बलाई,

4 जगदीश पिता बुदिया, जाति बलाई,

दोनों निवासी 191, बापु गांधी नगर, देवास नाका, गली नम्बर 1,

इन्दौर जिला इन्दौर

.....विपक्षीगण

### निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता

महोदय,

विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार के न्यायालय में नायब तहसीलदार महोदय धार के प्रकरण क्रमांक 26 / अ-6 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30 / 01 / 2016 के विरुद्ध 319 दिनों

of 212

25.10.2017

प्रस्तुतकार

आवेदकों की ओर से  
श्री आरविंदा शर्मा आवेदक  
उपर्युक्त ! ग्राम पट्टुना  
गया। उनका तर्क है कि तेजी  
अनुबंधभागीम आवेदकी द्वारा

AKHILESH SHARMA  
ADU.

आवाधी विवाह की घारा 5 के  
आवेदन पत्र पर बोलता (दुआ)  
आदेश पाति नहीं किया गया  
है अनुबंधभागीम आवेदकी के  
आदेश दिनांक 16.10.2017 की तर्फ  
प्राप्तिक्रिया का अवगत किया गया।  
अनुबंधभागीम आवेदकी द्वारा बोलता  
(दुआ संकारण) आदेश पाति नहीं  
किया गया है। ताकि आदेश  
प्रियदर्श किया जाए अनुबंधभागीम  
आवेदकी को प्रियदर्शित किया  
जाए है कि अवधि पास को  
खुनकर आवाधी विवाह की घारा  
5 पर बोलता (दुआ) आदेश  
पाति है।

अप्रृष्ट

गुरु